hon Minister whether this colony is going to be regularised or the settlers are going to be provided with any other dwelling place, and whether the High Power Committee will also look into the regularisation of Sukanta colony?

SHRI K RAGHU RAMAIAH: The High Power Committee has given its report I am not quite sure whether they have gone into it. I shall bear it in mind at the time of examination of this report.

अन्तर्राज्यीय विवादो के कारण रुकी पड़ी सिचाई परियोजनाए

+

*284. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री आर० बी० बडे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) अन्तर्राज्यीय विवादो के कारण कौन-कौन सी सिचाई परियोजनाए रुकी पडी है और उनमे से प्रत्येक परियोजना कब से रुकी पडी है, और

(ख) भू-सिचाई परियोजना के सबध मे क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये है और उनके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कितनी हानि हो रही है ?

कृषि और सिचाई मत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिह): (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) ऐसी सिचाई परियोजनाओ के नाम, उनके आयोजित वार्षिक सिचाई लाभ और केन्द्रीय जल आयोग मे उनके प्राप्त होने की तारीख सभा पटल पर रखे गये विवरण मे दी गई है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सख्या एल टी 9142/75] जिन्हें अन्तर्राज्यीय विवादो के कारण स्वीकार नही किया जा सका है।

भले ही उन नदी बेसिनों मे सिंचाई के विकास मे रुकावट आई है जिनके संबध मे विवाद है, परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुल मिलाकर देश मे इससे कोई खास हानि हुई है क्योंकि सिचाई के लिए रखी गयी रकम को विवादरहित परियोजनाओं की शक्यता का निर्माण करने में इस्तेमाल कर लिया गया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह अनुमान लगाया गया है कि नदी जल-विवादो को सुलझाने मे देर करने के कारण प्रति वर्ष 1500 करोड रुपये का देश को नुकसान हो रहा है। मैं जानना चाहता हू—क्या सरकार देश के सारे जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करनेका विचार कर रही है जिससे ये विवाद प्रदेशो मे लटके न रहे और केन्द्र सरकार इनको सुलझाने का अधिकार ले ले ? क्या इस सम्बन्ध मे सविधान मे सशोधन करने के बारे मे सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

श्री केदार नाथ सिंह : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि पानी का काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन जहा तक पैसे का सवाल है उसमे कोई नुकसान नही है, क्योंकि यह विषय राज्य सरकारो का है और राज्य सरकारे जो पैसा पा रही हैं, वह दूसरी योजनाओ पर खर्च कर रही हैं, इस लिये पैसे का नुकसान नही है, लेकिन पानी का नुकसान जरूर है।

जहा तक पानी को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने की बात है इस पर अभी राज्य सरकारो से विचार-विमर्श चल रहा है, लेकिन अभी कोई निर्णय नही लिया गया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कुछ विवाद 1966 से और कुछ 1968 से पडे हुए हैं। उदाहरण के लिये "यूटिलाइजेशन आफ़ सप्लर्स रावी—व्यास

वाटर"—यह 17-11-1966 से पड़ा हुआ है। इसी तरह से पंजाब का एक दूसरा विवाद "थियन डैम" का 8-5-1969 से पड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि थियन डैम बनाने मे कौन सा विवाद बाधक है? क्या किसी प्रदेश का विवाद बाधक है या पाकिस्तान के साथ जो विवाद है, उसके कारण कठिनाई पैदा हो रही है? क्या भारत को अधिकार नही है कि थियन डैम का निर्माण करे और पाकिस्तान की आपत्ति को रद्द कर दे?

श्री केदार नाथ सिंह : जहा तक थियन डैम का सवाल है—उसमें भी अन्तर्राज्यीय झगडा है, जिसमे जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य इन्वाल्व्ड हैं। इसमे पाकिस्तान का कोई झगड़ा नही है।

SHRI K. LAKKAPPA: Recent statements which have appeared in the Press have revealed that nearly hundred projects are locked up in disputes. I would like to know the assessment of the Government of the damage caused in this regard as a consequence of this delay so far as the river disputes are concerned. There has been no decision taken in this regard by the Government. So, it has affected the boosting of agricultural production also, for example, in Karnataka and various other southern States.

SHRI KEDAR NATH SINGH: I have already stated about this.

SHRI K. LAKKAPPA: He has not answered. The damage has been caused by this delay and I want to know the loss which has been caused for so many years for having failed to solve the river disputes throughout the country. 100 projects are locked up. What is the Government's decision to take immediate steps in this regard, to boost agricultural production in various States?

SHRI KEDAR NATH SINGH: I am very much concerned with the suggestion made by the Member and we are taking steps.

SHRI K. LAKKAPPA: He has not given information. This is a vital subject. The question is very clear. What is the loss as a consequence of the projects not having been taken up for so many years? By what time these disputes will be solved? Can he give some idea about it, so that we can boot agricultural production in the country? It is a very relevant question.

MR SPEAKER. You have had your say in such a loud voice. Still he has not answered! How can I give you further protection?

SHRI K LAKKAPPA: He has not answered by question I am within my right to put a question.

MR. SPEAKER: I don't come in the way

SHRI K LAKKAPPA: A specific question has been put by me

MR. SPEAKER: After all he has taken so much pains and put it in such a loud voice; you must do something to satisfy him.

SHRI KEDAR NATH SINGH: I have already said about this. We are trying our best to solve this problem. We are trying to bring all the concerned States on the Table to discuss these matters. Only very recently we have solved certain problems between Madhya Pradesh and Gujarat. This matter is being sorted out.

SHRI P VENKATASUBBAIAH: May I know whether in the matter of national asset, it is only an accident of geography that some States are in the upper reaches and some States are in the lower reaches and on no account water which is national asset should be allowed to go waste? A tribunal was appointed for resolving disputes regarding Krishna river but we find

that they are dragging their feet because of legal impediments placed in the way by some States. I want to know when the Award on Krishna river water dispute will be placed on the Table of the House. Secondly, Andhra Pradesh Government has said that Godavari river water dispute should be delinked with Krishna river water dispute, because it will take another decade to settle the dispute, with the result, that irrigation facilities will be held up to the detriment of the nation. To this what is the reaction of the Government?

SHRI KEDAR NATH SINGH: I agree that it is a time consuming thing but we are trying our best to solve them, as I have already stated. As regards this Krishna tribunal it is at the stage of clarification and no time can be fixed for decision.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH. About Godavari waters the State Government has made a representation What is the reaction of the Central Government to that?

SHRI KEDAR NATH SINGH The Godavari Tribunal is a different tribunal and a date has been fixed for its hearing. Therefore, at this stage, it may not be said what decision this Tribunal will take. But we will try to normalise.

SHRI K. S. CHAVDA: The agreement on the Narmada has been reached among the Adviser to the Governor of Gujarat and the Chief Ministers of Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. But there is no people's representative Government to see that this agreement is or is not in the interest of Gujarat. Looking to the importance of Navagam Project in Gujarat will the Deputy Minister of Agriculture and Irrigation advise the Prime Minister with regard to the demand of the people of Gujarat for holding early elections there, before the end of May, 1975?

SHRI KEDAR NATH SINGH: It is incorrect to say that the Gujarat interest is being overlooked. It is being looked after properly. The Adviser to the Governor was consulted and all the Chief Ministers were consulted. An agreement was reached that the Nowgong Project should be left and besides that, other projects should be taken. Four projects were taken in Gujarat and four were taken in Madhya Pradesh without any prejudice to the Tribunal

प्रो० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंजाब रीआर्गेनाइजेशन ऐक्ट मे यह प्रावधान था कि अगर पजाब और हरियाणा दोनों मिल कर रावी, व्यास के पानी के बटवारे का फैसला न करें तो भारत सरकार उसका फैसला करेगी। अब करीब 6 साल हो गये और व्यास का पानी इस साल के अन्त तक या अगले साल के शुरू मे मिलने लगगा, लेकिन अभी तक फैसला नही हुआ है कि कितना पानी हरियाणा को मिलना है। इसके साथ साथ कैरियर चैनल्स जब तक न बने तब तक पानी लिया नही जा सकेगा, और कैरियर चैनल्स के लिये जो हरियाणा सरकार ने माग की है कि पंजाब सरकार उसको भूमि दे, उसका भी फैसला नही हुआ है, और साल मुश्किल से एक बचा है। मैने इस सम्बन्ध में एक पत्र भी लिखा है कृषि और सिचाई मंत्री को पहली फरवरी को, जिसका उत्तर अभी तक नही आया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे मे सरकार क्या कर रही है? कब तक फैसला करेगी पानी के बटवारे का और कैरियर चैनल्स के बारे मे पंजाब सरकार सुविधा नही दे रही है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

श्री केदार नाथ सिंह : रावी और व्यास का जो विवाद है वह केन्द्रीय सरकार के सामने है और अभी तक कोशिश इस बात की थी कि हरियाणा और पंजाब के मुख्य मंत्रियों को मिला कर कोई फैसला किया जाय। दोनों सरकारों ने अपने लीगल ऐक्सपर्ट स से बात

कर के केन्द्रीय सरकार को कुछ आवेदन-पत्र दिये हैं और केन्द्रीय सरकार ने उनको अपने लीगल ऐक्सपर्टस के पास भेजा है उनकी राय लेने के लिये।

डा० गोविन्द दास रिछारिया : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में त्रिपाठी जी के मुख्य मंत्री काल मे एग्रीमेंट हो गया था, सारे विवाद तय हो गये थे और उसके बाद शिलान्यास हुआ बेतवा नदी के ऊपर। लेकिन कंट्रोल बोर्ड बनाने के विवाद मे फिर से मामला रुका हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कब तक कंट्रोल बोर्ड बना कर उस काम को फिर से चालू करा देंगे?

श्री केदार नाथ सिंह : अध्यक्ष जी, इसमें मध्य प्रदेश सरकार को लिखा गया है और मैं समझता हू कि बहुत जल्दी ही यह मामला हल हो जायेगा।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के वक्तव्य मे पता चलता है कि गोदावरी नदी घाटी के इलाके में कुल 51 प्रोजैक्ट्स खटाई मे पडे हुए है और इनमे से 41 अकेले महाराष्ट्र मे है। तो क्या मन्त्री महोदय को इस बात का पता है कि सिचाई के मामले मे महाराष्ट्र राज्य बहुत पिछडे हुए राज्यो मे आता है। तो क्या इनमे से कुछ प्रोजैक्ट्स को प्रायरिटी के आधार पर निकालने का काम किया जायगा?

श्री केदार नाथ सिंह : मसला चूंकि ट्राइब्युनल के सामने है इसलिये यह कहना बड़ा कठिन होगा कि किस को प्रायरिटी के आधार पर जल्दी किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र की तरह पंजाब भी पिछडा हुआ है।

डा० कैलास : अध्यक्ष जी, पिछले बजट सेशन मे हमें कुछ ऐसी सूचना मिली थी कि सारी नदियो को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने के लिये एक बिल लाया जा रहा है। अगर यह राष्ट्रीय सम्पत्ति का बिल लाया गया होता तो यह ट्राइब्युनल का उत्तर देकर, या एक मुख्य मन्त्री दूसरे मुख्य मन्त्री से बात कर रहे है, इस तरह की कोई बात नही होती और न देरी होती और अन्न का उत्पादन भी बढ़ जाता। तो मैं जानना चाहता हू कि राष्ट्रीय सम्पत्ति नदियो को करार देने के लिये आप कोई बिल लाने वाले हैं कि नही, जिसकी कि सबने प्रशंसा की है?

श्री केदार नाथ सिंह : राष्ट्रीय सम्पत्ति के बारे मे मैंने पहले बताया है। इसमे भी बिल लाने के पहले राज्य सरकारो मे राय ली जाती है और उन से राय ली जा रही है।

Minimum statutory price of sugarcane recommended by Agricultural Prices Commission and other recommendations

+

*286 DR H P SHARMA
SHRI P M MEHTA

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state

(a) whether the Agricultural Prices Commission has recommended an increase of about 12 per cent in the minimum statutory price of sugarcane for 1975,

(b) if so the reaction of the concerned States and Central Government thereto and how the sugar industry has reacted thereto;

(c) what are the other recommendations made by Agricultural Prices Commission and decisions taken thereon and

(d) the sugarcane production target for 1975 contemplated to be achieved with this rise in cane prices?